

250

न्यायालय श्रीमान् महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर(म0प्र0)

(पीठासीन बेंच रीवा (म0प्र0)

R. 5072-दे / 2015



Rs. 20/-

परशुराम शुक्ला तनय स्व0श्री माधव प्रसाद शुक्ला, उम्र वर्ष, पेशा-कृषि
निवासी-महदेवा, वार्ड नं0-30 नगर पालिक निगम सतना, तहसील
रघुराजनगर, जिला सतना, (म0प्र0)-----निगराकार/आपत्तिकर्ता

बनाम्

- 1:- रामबाई बढई पत्नी स्व0श्री रामाधार बढई, उम्र वर्ष, पेशा-कृषि,
निवासी महदेवा, वार्ड नं0-30नगर पालिक निगम सतना, तहसील
रघुराजनगर, जिला सतना, (म0प्र0)-----गैरनिगराकार/आवेदिका
- 2:- शासन म0प्र0 जरिए राजस्व निरीक्षक महोदय राजस्व निरीक्षक मंडल
सोहावल, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना, (म0प्र0)

-----गैरनिगराकार/अनावेदक

प्रकरण-अंतर्गत धारा-50का0मा0

विरुद्ध-सीमांकन रा0प्र0क्र0-42अ12/14-15 में श्रीमान्
राजस्व निरीक्षक महोदय मंडल सोहावल, तहसील
रघुराजनगर, जिला सतना, म0प्र0 द्वारा पारित आदेश
दिनांक-16.06.2015

मान्यवर,

निगराकार/आपत्तिकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी
प्रकरण प्रस्तुत कर अनुरोध है :-

गैरनिगराकार/आवेदिका ने आ0नं0-163, 164/1/1 रकवा
क्रमशः 0.101हे0, 1.12हे0 मौजा महदेवा, पटवारी हल्का महदेवा, तहसील

-2-

By - 10/2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.5072-II/15

जिला-सतना

परशूराम शुक्ला/रामबाई बढई

(1)	(2)	(3)
23.08.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाके तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	